भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2205

उत्तर देने की तारीख - 12/02/2026

पीएम-जेवीएम के अंतर्गत वन धन विकास केंद्रों का विकास

†2205. श्री बैजयंत पांडा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेषकर ओडिशा राज्य में प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत कुल कितने वन धन विकास केन्द्र (वीडीवीके) स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन वन विकास केन्द्रों से कुल कितने जनजातीय लाभार्थियों को जोड़ा गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के माध्यम से कितने मूल्य के लघु वन उत्पाद (एमएफपी) की खरीद और बिक्री की गई; और

(घ) वन धन विकास केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों की बाजार तक पहुंच और आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) की योजना के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) जो जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के समूह हैं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये समूह प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग, मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण, विपणन संपर्कों (लिंकेज) और जनजातीय समुदायों के लिए स्थायी आजीविका की सुविधा प्रदान करके जनजातीय आबादी के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गठित किए गए हैं।

एक विशिष्ट वन धन केंद्र लगभग 15 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें 300 सदस्य शामिल होते हैं। एसएचजी का नेतृत्व जनजातीय लोगों द्वारा किया जाता है और वीडीवीके के कम से कम 70% सदस्य जनजातीय हैं। एक वीडीवीके की स्थापना के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं जिसमें कच्चा माल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपकरण किट और मशीनरी का प्रावधान, मार्गदर्शन शुल्क और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, परिवहन और भंडारण से संबंधित खर्च शामिल हैं। ट्राइफेड अखिल भारतीय ट्राइब्स इंडिया स्टोर और ऑनलाइन बिक्री मंच के माध्यम से वीडीवीके उत्पादों की बिक्री की सुविधा प्रदान करके बाजार संपर्क (लिंकेज) स्थापित करने में वीडीवीके की सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड वीडीवीके को विभिन्न प्रदर्शनियों, मेलों, आदि बाजारों और आदि महोत्सवों में अपनी भागीदारी को सक्षम बनाकर अपनी बिक्री बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। इसके अलावा बी2बी सहयोग बढ़ाने और वीडीवीके को उनके उत्पादों की थोक बिक्री में सहायता करने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं।

ओडिशा राज्य में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के तहत, 50,094 सदस्यों को जोड़ते हुए 170 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनके लिए कुल 2,479.25 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, ट्राइफेड को ओडिशा के राज्य नोडल विभाग और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) से पीएमजेवीएम योजना के तहत वीडीवीके की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। 170 स्वीकृत वीडीवीके में से, 150 वीडीवीके संचालित होने की सूचना दी गई है, जिसमें पीएमजेवीएम योजना के तहत लघु वन उपज (एमएफपी) की बिक्री सहित अब तक 2,459.91 लाख रुपये की संचयी बिक्री की सूचना (रिपोर्ट) दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान, इन वीडीवीके द्वारा 366.91 लाख रुपये की राशि की बिक्री की गई है।

******